(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2468 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-6-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 741/अपील/2015-16.

डालचंद आत्मज मिट्ठूलाल
निवासी ग्राम बण्डोली
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरुद्ध

भगवान सिंह उर्फ प्रीतम सिंह आत्मज हीरालाल
निवासी ग्राम बण्डोली
तहसील गैरतगंज हाल पता-बूढ़ागंज
तहसील गैरतगज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 22-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 15-6-2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अपील/अ-6/2012-13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद क्रमांक 11ए/13 प्रचलित है, जिसमें इस आशय का बिन्दु निर्धारित किया गया है कि क्या प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को

स्वत्व प्राप्त होते हैं अथवा नहीं । अत: व्यवहार न्यायालय से वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-6-2014 को अंतरिम आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय से वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 2727-पीबीआर/14 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26-11-15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह परीक्षण करें कि व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन दिया गया है अथवा नहीं । यदि स्थगन नहीं दिया गया है, तब वे अपील का विधिवत निराकरण करें । इस न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 27-8-2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2007 निरस्त किया गया एवं तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों में पूर्ववत संशोधन करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-6-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त् के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) अपर आयुक्त एवं तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 बटवारा प्रविष्टि प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 15-6-2017 विधि न्याय व न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत एवं अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा मौके की स्थिति को हल्का पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक से सत्यापित नहीं कराया गया है एवं तहसील न्यायालय के अभिलेख को नजरअंदाज कर विधिस्थापित कानून की गंभीर उपेक्षा की गई है । अत: अपर आयुक्त का आदेश अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों तथा न्याय की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही निर्धारित कर दिया कि नामान्तरण पंजी पर बटवारा किया गया है, जबकि नामान्तरण एवं बटवारे के प्रकरणों में

मौके की वास्तविकता के आधार पर राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण करें । उक्त निष्कर्ष के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है, वह बोलता हुआ न्यायिक आदेश न होकर मात्र प्रशासनिक आदेश है, जो हस्तक्षेप योग्य है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 302 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 109, 110 एवं 178 के प्रावधानों एवं नियमों को अनदेखा करते हुए प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णत: अवैध एवं अधिकारिता रहित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1994 आर.एन. 102, 1995 आर.एन. 27 एवं 2005 आर.एन. 184 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(5) अपर आयुक्त यदि अपर तहसील न्यायालय की नामान्तरण पंजी एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन न्यायिक दृष्टि से किया गया होता तो विभाजन एवं नामान्तरण नियमों के बला-ए-ताक पर रखकर संहिता की धारा 109, 110 एवं 178 के विपरीत जाकर विधि न्याय एवं नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित नहीं होता ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अमानसिंह एवं बालाराम दोनों भाईयों के नाम ग्राम कटंगी तहसील बेगमगंज में कृषि भूमि थी और ग्राम वनडोली में भी 300 एकड़ भूमि क्रय की गई थी, जिसका लगभग 49 वर्ष पूर्व आपसी पारिवारिक व्यवस्था की जाकर स्व. हीरालाल एवं स्व. जमनाप्रसाद को ग्राम वनडोली की भूमि प्राप्त हुई थी तथा मिट्ठूलाल एवं वटनलाल को भी ग्राम वनडोली एवं कटंगी की भूमि प्राप्त हुई थी । पारिवारिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हो सकी, जबकि स्थल पर कब्जा व्यवस्था अनुसार धारक का होकर चला आ रहा है ।

(2) आवेदक एवं अनावेदक के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में पूर्व के पारिवारिक व्यवस्था की पुष्टि स्वरूप दिनांक 6-4-89 को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 3.02 एकड़ एवं खसरा नम्बर 212/1 रकबा 3.00 एकड़ के संबंध में आवेदक डालचंद ने पारिवारिक हिस्सानामा हस्ताक्षरित एवं लेखबद्ध करते हुए स्वीकृति लिखी है कि खसरा नम्बर 205 रकबा 3.02 एकड़

भगवान सिंह अनावेदक को एवं खसरा नम्बर 212/1 रकबा 3.00 एकड़ लक्ष्मनसिंह को खानदानी हिस्से एवं कब्जे में 25 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई हैं ।

(3) लगभग 17 वर्ष पूर्व अनावेदक भगवान सिंह एवं उसके भाई लक्ष्मनसिंह के मध्य उनकी अन्य भूमि के साथ वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि का विभाजन होकर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि अनावेदक भगवान सिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य में प्राप्त हो चुकी है ।

(4) वादग्रस्त भूमि आवेदक को पारिवारिक व्यवस्था बटवारे के अनुसार हिस्से एवं कब्जे में भूमि प्राप्त हो चुकी थी और राजस्व अभिलेखोंमें नाम मात्र के रूप में वादग्रस्त भूमि आवेदक डालचंद के नाम थी, इसलिए स्वयं आवेदक डालचंद ने तहसीलदार के समक्ष नामांतरण पंजी क्रमांक 11 पर अपनी सहमति एवं हस्ताक्षर कर दिनांक 16-5-2007 को अनावेदक का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज करा दिया, किन्तु उक्त प्रविष्टि का अमल न होने के कारण बाद में आवेदक ने बेईमानी पूर्वक वादग्रस्त भूमि पर के.सी.सी. ऋण प्राप्त कर लिया, किन्तु वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य अनावेदक भगवान सिंह का ही है । नामांतरण पंजी पर दर्ज प्रविष्टि का अमल राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभिलेख में करना था, इसमें अनावेदक की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

(5) आवेदक डालचंद द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 205 एवं खसरा क्रमांक 212/1 पर स्वत्व के संबंध में सिविल न्यायालय गैरतगंज में व्यवहार वाद क्रमांक 11ए/2013 प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है । विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि जब पक्षकारों के मध्य स्वत्व के प्रश्न का निराकरण सिविल न्यायालय में लंबित हो तो राजस्व न्यायालय को कोई कार्यवाही नहीं कर, व्यवहार न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए ।

(6) आवेदक डालचंद ने नामांतरण पंजी पर उसके कूटरचित हस्ताक्षर होने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जायेगी कि नामांतरण पंजी क्रमांक 11 दिनांक 16-5-2007 पर आवेदक डालचंद के सहमति के हस्ताक्षर होकर नामांतरण पंजी पर की गई प्रविष्टि वैध है ।

(7) उपरोक्त खण्डन तर्कों के उल्लेख में आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क दिनांक 27-3-2018 में वर्णित वैधानिक आधार 1 लगायत 5 एवं वर्णित न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं ।

(8) उभय पक्ष के मध्य लंबित व्यवहार वाद क्रमांक 11ए/2013 में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 26-8-2014 को नामांतरण पंजी क्रमांक 11 पारिवारिक हिस्सा दिनांक 6-4-1989 पर आवेदक डालचंद के फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंध में यह आदेश किया है कि पारिवारिक हिस्सानामा दिनांक 6-4-1989 पर आवेदक डालचंद के हस्ताक्षरों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाये, किन्तु आवेदक डालचंद द्वारा आज दिनांक तक उक्त जांच नहीं कराई गई है । अतः पारिवारिक बटवारा दिनांक 6-4-1989 पर आवेदक डालचंद के हस्ताक्षर कूटरचित होना मान्य नहीं किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 2016 आर.एन. 43, 2012 आर.एन.316 एवं 1987 आर.एन.401 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण आवेदक की सहमति से पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनावेदक के नाम किया गया है । अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त पारिवारिक हिस्सानामा की प्रति प्रस्तुत की गई थी । हिस्सानामा एवं पंजी दोनों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं । यदि अनुविभागीय अधिकारी को हिस्सानामा पर सन्देह था तो उसे साक्ष्य में ग्रहण कर, प्रमाणित कराना चाहिए था । आवेदक ने किसी भी सक्षम न्यायालय में उसके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए हैं, को चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । अनावेदक का तर्क है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा उसे फर्जी हस्ताक्षर की जांच के लिए अवसर भी दिया गया था लेकिन आवेदक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में कोई जांच कराना परिलक्षित नहीं होता है । आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद भी पेश किया गया है, जिसका निर्णय उभय पक्ष पर बंधनकारी होगा । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने उचित निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें फेर-बदल के पर्याप्त आधार नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 22-6-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर